न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 414/2024

अपीलांट — बनाम — रेस्पोडेन्ट

अपीलांट

1. जेती देवी पत्नी वीरमाराम
2. वीरमाराम पुत्र मगाराम
3. पन्नाराम पुत्र मगाराम
(जाति जाट, निवासी पेमाणियों का तला, तहसील रामसर, बाडमेर)

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. काछबाराम पुत्र जूंजा
2. कालुराम पुत्र जूंजा
3. खेता पुत्र मगना
4. चनणी पुत्री नारणाराम
5. देवाराम पुत्र हरजीराम
6. दिलीप कुमार पुत्र चेनाराम
7. पूनमाराम पुत्र बांकाराम
8. पेम्पादेवी पुत्री नारणाराम
9. भूरा पुत्र नारायणराम
10. मघी पत्नी नारणाराम
11. मोटाराम पुत्र बांकाराम
12. रामाराम पुत्र बांकाराम
13. विगा पुत्र मोती
14. हरजीराम पुत्र तेजाराम
15. हरीशकुमार पुत्र चेनाराम
16. अगरीदेवी पत्नी उगराराम
17. ईमरतीदेवी पत्नी काछबाराम
18. उगरा पुत्र मगना
19. ओमा पुत्र नारायणराम
20. कसूम्बी पत्नी बांकाराम
(जाति जाट, निवासी पेमाणियों का तला, तहसील रामसर, बाडमेर)
21. उम्मेदसिंह पुत्र हेमसिंह
22. आसूसिंह पुत्र हेमसिंह राजपूत, निवासी कोटडिया तला, बाडमेर
23. भूरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी खारा राठौडान, तह0 रामसर
24. सवाईसिंह पुत्र अलसिंह
25. तनसिंह पुत्र अलसिंह राजपूत निवासी गंगाणियों की ढाणी, बाडमेर
26. हेमसिंह पुत्र अलसिंह राजपूत निवासी खारा राठौडान, तह0 रामसर
27. झीमों पत्नी लाखाराम जाट निवासी रामसर आगोर, तह0 रामसर
28. तहसीलदार रामसर, जिला बाडमेर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रामसर (बाडमेर) राजस्व आवेदन सं0 16/2023 आदेश दिनांक 06.03.2024

उपस्थिति –
1. श्री मोहनलाल खत्री, वकील अपीलांट
2. श्री बी0एल0डूडी वकील रेस्पो0सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 28
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थिति

राजस्व अपील संख्या 386/2026

अपीलांट

1. वीरमाराम पुत्र मगाराम
2. जेती देवी पत्नी वीरमाराम
   (जाति जाट, निवासी पेमाणियों का तला, खारा राठौडान, तहसील रामसर, बाडमेर)

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र काछबाराम चौधरी
2. ईमरतीदेवी पत्नी काछबाराम
3. खेता पुत्र मगना
4. विगा पुत्र मोती
5. हरजीराम पुत्र तेजाराम
6. काछबाराम पुत्र जूंजा
7. गेनाराम पुत्र पनाराम
8. दुर्गाराम पुत्र पनाराम
9. पुरखाराम पुत्र पनाराम
10. मोटाराम पुत्र पनाराम
11. राजाराम पुत्र पनाराम
12. पन्ना पुत्र मगा
13. रामाराम पुत्र गोमाराम
14. लुणाराम पुत्र गोगाराम
15. सोनाराम पुत्र गोमाराम
16. देवाराम पुत्र रूगाराम
17. धापु पत्नी रूगाराम
    (जाति जाट, निवासी पेमाणियों का तला, खारा राठौडान, तह0 रामसर, बाडमेर)
18. दिलीप कुमार पुत्र चेनाराम
19. हरीश कुमार पुत्र चेनाराम
20. पूनमाराम पुत्र बांकाराम
21. मोटाराम पुत्र बांकाराम
22. रामाराम पुत्र बांकाराम
23. कसूम्बी पत्नी बांकाराम
    (जाति जाट, निवासी गंगाला, तहसील रामसर, बाडमेर)
24. पेम्पोदेवी पुत्री नारणाराम
25. भूरा पुत्र नारायणराम

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

20. पूनमाराम पुत्र बांकाराम

26. मघी पत्नी नारायणराम
27. ओमा पुत्र नारायणराम
28. चनणीदेवी पुत्री नारणाराम
29. भींयाराम पुत्र उगराराम
30. उगरा पुत्र मगना
31. कालुराम पुत्र जुंजा
32. देवाराम पुत्र हरजीराम
    (जाति जाट, निवासी शेरा नगर, खडीन, तहसील रामसर, बाडमेर)
33. तहसीलदार रामसर, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रामसर (बाडमेर) राजस्व आवेदन सं0 213/2025 आदेश दिनांक 17.12.2025

उपस्थिति –
1. श्री मोहनलाल खत्री, वकील अपीलांट
2. श्री बी0एल0डूडी वकील रेस्पो0सं0 6 (रेस्पो0सं0 1 अपील सं0 414/2024)
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 33
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थिति

निर्णय

दिनांक 2.06.2026

उपरोक्त अपीलें राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी रामसर (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन सं0 16/2023 बअनवान काछबाराम व अन्य बनाम उम्मेदसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 एवं राजस्व आवेदन संख्या 213/2025 बअनवान वीरमा व अन्य बनाम नरेन्द्रसिंह में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण संख्या 414/2024 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–काछबाराम वगैरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील रामसर के ग्राम पेमाणियों का तलां स्थित अपने खातेदारी खसरा नम्बर 210 रकबा 37.3767 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों को सूचित कर उल्लेखित खसरान की भूमि की मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करने हेतु तहसीलदार रामसर को आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 3, 4 व अन्य ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

इसी प्रकार राजस्व अपील संख्या 386/2026 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–अपीलांट–वीरमा वगैरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील रामसर के ग्राम पेमाणियों का तलां स्थित अपने खातेदारी खसरा नम्बर 584/198 रकबा 4.7915 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों को सूचित कर उल्लेखित खसरान की भूमि की मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार रामसर को आदेशि किया गया। उक्त आदेश की पालना में मौके पर पूर्ण नेखमबंदी नही होने से अपीलांट–प्रार्थीगण ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

इन अपीलों के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु म्याद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील सं0 414/2024 में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील प्रकरणों गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील संख्या 414/2024 के अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 20 द्वारा अपीलांट एवं अन्य प्रत्यर्थीगणों के विरूद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम पेमाणियों का तला के ख0नं0 210 की भूमि उनकी खातेदारी भूमि है। पडौसी खेतों के मध्य सीमा चिन्ह नही होने से सीमा संबंधी विवाद रहता है, इसके समाधान हेतु नेखमबंदी का आदेश फरमावे। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट एवं अन्य प्रत्यर्थीगण को जारी नोटिस, तामिल प्रर्याप्त मानते हुए, उनकी अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। प्रार्थना पत्र में अपीलांट के पिता का नाम मगाराम के स्थान पर गलत रूप से भगाराम अंकित किया गया। मौका सीमांकन फर्द में स्पष्ट रूप से पडौस की सीमाओं का विवाद अंकित है, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। अपीलार्थीया जेती पत्नी वीरमाराम

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ख0नं0 588/198 की खातेदार है, जिसके पडौस में वादग्रस्त ख0नं0 210 रकबा 4.14 बीघा स्थित है, जिन्हें पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया। जिससे उन्हें सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। प्रत्यर्थी अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलार्थीया की भूमि पर करीब 1 बीघा अन्दर घुसकर कब्जा करना चाहते है। जबकि प्रत्यर्थीगण की भूमि मौके पर राजस्व रेकर्ड से कम है। अपीलार्थीया की ढाणियां नेखमबंदी सीमा में आ रही है। सीमा विवाद का निस्तारण नेखमबंदी की समरी कार्यवाही की बजाय सक्षम न्यायालय में नियमित वाद द्वारा संभव है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

इसी प्रकार वकील अपीलांट ने अपील संख्या 386/2026 के अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी–अपीलांट के आवेदन में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2025 को पूर्ण रूप से अपीलांट के खातेदारी ख0नं0 584/198 के पडौसी खातेदार (प्रार्थी–रेस्पो0 अपील सं0 414/2024) के खेत ख0नं0 210 के चिन्हित बिन्दु सी, डी व ई के मध्य स्थापित नेखमों के मध्य ओवरलेप होने से मौके पर पक्के नेखम नही लगाये गये। ख0नं0 210 व 584/198 के बीच ओवरलेप है अर्थात मौके पर विवाद है। जबकि मौका फर्द दिनांक 25.06.2024 के अनुसार रेस्पो0–प्रार्थी–काछबाराम वगैरा के ख0नं0 210 के नेखमबंदी आदेश की पालना कर दी गई तथा इसके चिपते अपीलांट–प्रार्थी–वीरमा वगैरा के ख0नं0 584/198 की पूर्ण पालना नही की गई है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.25 के नेखमबंदी आदेश की पालना में ख0नं0 584/198 की छोडी गई बिन्दु सं0 सी, डी व ई की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार रामसर को दोनों पक्षकारों को सुनकर एवं सीमाज्ञान कर, पुनः नेखमबंदी करने हेतु निर्देशित करने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में तहसीलदार रामसर के पत्रांक 503 दिनांक 24.02.26 के संलग्न ख0नं0 584/198 की नेखमबंदी हेतु मौका फर्द दिनांक 20.02.26 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी किए गये थे, जिनकी डाक रसीदे प्रस्तुत की गई। इनकी ओर से कोई

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.24 की पालना में वादग्रस्त ख0नं0 210 के समस्त बिन्दुओं पर पक्के नेखम स्थापित कर दिये गये है, जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार रामसर के पत्रांक 1637 दिनांक 10.7.24 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.07.24 (आवेदन सं0 16/2023) के अनुसार कन्फर्म कर दी गई, इसके पश्चात न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 414/2024 दिनांक 3.12.24 को प्रस्तुत की गई है, जिसे निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की पालना में मौका फर्द में उल्लेखित विरोधाभासी तथ्यों को देखते हुए दोनों ही अपील प्रकरणों में विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि आलौच्य प्रकरणों में अपीलांट–वीरमाराम वगैरा व रेस्पो0सं0 1 से 20–नरेन्द्रसिंह/काछबाराम वगैरा के ख0नं0 कमशः 584/198 तथा 210 के मध्य मौके पर सीमा विवाद है। दोनों ही पक्षों द्वारा अपने –अपने खसरान की नेखमबंदी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किए गये। इनमें से प्रथम प्रस्तुत रेस्पो0–काछबाराम वगैरा के आवेदन संख्या 16/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.24 की मौका फर्द दिनांक 25.06.24 के अनुसार ख0नं0 210 की नेखमबंदी की जाकर, इसकी पुष्टि कर दी गई है। इसके पश्चात अपीलांट–जेति/वीरमाराम वगैरा के आवेदन संख्या 213/2025 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.25 की मौका फर्द दिनांक 20.02.26 में यह उल्लेखित है कि विचाराधीन ख0नं0 584/198 के पडौसी ख0नं0 210 की पक्की नेखमबंदी दिनांक 25.06.24 को की जा चुकी है। विचाराधीन ख0नं0 के चिन्हित बिन्दु सं0 सी, डी व ई तथा ख0नं0 210 के पूर्व में स्थापित नेखमों के मध्य ओरवलेप होने के कारण मौके पर पक्के नेखम नही लगाये गये। इसके अलावा ख0नं0 591/198 के एक खातेदार की रहवासीय ढाणी भी विचाराधीन ख0नं0 584/198 में पायी जाने का उल्लेख है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन सं0 16/2023 बअनवान काछबाराम व अन्य बनाम उम्मेदसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 एवं इसकी पालना में मौका फर्द दिनांक 25.06.24 द्वारा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पडौसी ख0नं0 584/198 के उक्त बिन्दुओं पर की गई पक्की नेखमबंदी व इसकी पुष्टि को ओवरलेप की स्थिति में न्यायोचित नही कहा जा सकता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट–जेतीदेवी वगैरा की अपील संख्या 414/2024 आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 16/2023 बअनवान काछबाराम व अन्य बनाम उम्मेदसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 को अपीलांट के ख0नं0 ख0नं0 584/198 की नेखमबंदी हेतु मौका फर्द दिनांक 25.06.24 में उल्लेखित बिन्दु सं0 सी, डी व ई की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन ख0नं0 210 की भूमि का निरस्त आदेश की हद तक, सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

साथ ही तहसीलदार रामसर को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ख0नं0 210 के निरस्त आदेश की हद तक, पुनः आदेश पारित करने के उपरांत ख0नं0 210 एवं 584/198 की शेष नेखमबंदी विधिक रूप से पूर्ण करावे।

निर्णय आज दिनांक 2.6.26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

2/6/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर